

श्री अशोक कुमार तिवारी
वकील-ब्यास हिन्दू
22.10.08
दोष-अवधि का
22.10.08

1. वकली पत्नी हिन्छा यादव,
2. रामलाल पिता हिन्छा यादव,
3. जयलाल पिता हिन्छा यादव,
4. शिवलाल पिता हिन्छा यादव,
5. श्रीलाल पिता हिन्छा यादव,
6. उमेश कुमार पिता हिन्छा यादव,
7. दिलरजुआ पत्नी रामपाल यादव,
8. रमई अहिर पिता रामशरण अहिर
9. विनोद कुमार तनय हीरालाल अहिर, सभी का पेशा खेती, निवासीगण
ग्राम-मरूही, तहसील-सिहावल, जिला-सीधी (म०प्र०) —आवेदकगण

R-1445-IV/08
R-1545-IV/08

विरुद्ध

1. सत्यदयालधर पिता रघुवरदयाल धर
2. ब्यास मुनिधर पिता रघुवरदयाल धर
3. चतुरराजधर पिता रघुवरदयाल धर
4. अनसुइया धर पिता पिता रघुवरदयाल धर
5. लालधर पिता पिता रघुवरदयाल धर
6. ठाकुरदयाल धर पिता सुदर्शनधर ब्रा., पेशा खेती, निवासी ग्राम मरूही, तहसील
सिहावल, जिला-सीधी (म०प्र०)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग
रीवा न्यायालय के प्रकरण क्र०- 578/निग.
/०६-०७ दिनांक ०४.१०.०८ के विरुद्ध
निगरानी,


अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
सन 1959 ई.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1545-II/08

जिला-सीधी

बकली यादव वगैरः/सत्य दयालधर वगैरः

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। आवेदक द्वारा अनावेदकगण की तलवी हेतु तलवाना भी जमा किया जा रहा है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	